89

R 603-II/08

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

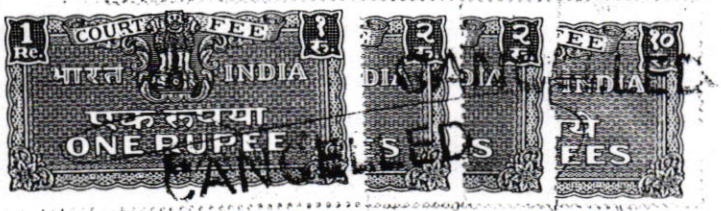

नगीना देवी पत्नी सीताशरण कोल निवासी ग्राम रेक्सहा, तहसील-त्यौथर, जिला रीवाम0प्र0 ---निगरानीकर्ता/आवेदिका

बनाम

रामनिहोर तनय मीरू कोलनिवासी ग्राम रेक्सहा, तहसील त्यौथर, जिला रीवाम0प्र0 ---गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

न्यायालय श्रीमान् अपरआयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक-576/निगरानी/06-07 मे पारित आदेश दिनांक 15-5-08 के बिरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता

महोदय,

:: निगरानी के तथ्य::

आवेदिका के पति और अनावेदक सगे भाई है, तथा रिश्ते के चाचा स्व0छोटे लाल कोल ने अपने स्वत्व की धारित भूमियो का पंजीकृत बसीयतनामा दिनांक 30-9-04 को आवेदिका के पक्ष मे निष्पादित करवा दिया, इसके बाद बसीयतकर्ता को निरक्षर अपढ़ व्यक्ति था से अनावेदक कूट रचना करते हुये फर्जी तौर पर पंजीकृत बिभाजन पत्र दिनांक 16-8-01 को निष्पादित करवा लिया और उक्त फर्जी बिभाजन पत्र के आधार पर आवेदिका को बिना पक्षकार बनाये बिना सुनवायी का अवसर दिये नामान्तरण आदेश पारित करवा लिया जिसके बिरुद्ध आवेदिका ने अनु0अधिकारी महोदय के यहां अपील प्रस्तुत किया और उसकी अपील स्वीकार कर ली गयी जिसके बिरुद्ध अनावेदक ने अपर जिलाधीश महोदय रीवा के यहां निगरानी प्रस्तुत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 603–तीन/2008 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –9–2016	यह निगरानी आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 576/निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 15–5–2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदिका के पति एवं अनावेदक सगे भाई है तथा उनका चाचा स्व0 छोटेलाल कौल था, जिसमें स्व0 छोटेलाल द्वारा आवेदिका के पक्ष में अपने जीवनकाल में दिनांक 30–9–2004 को सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत की गई थी। अनावेदक द्वारा तथाकथित फर्जी व कूटरचित विभाजन पत्र दिनांक 16–8–2001 तैयार कर, उक्त विभाजन पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र किया। जो आदेश दिनांक 23–3–2006 द्वारा स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 31–8–2006 से स्वीकार की गयी तथा आवेदिका को पक्षकार के रूप में मान्य किया गया इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 14–6–2007 से निरस्त की गयी। तत्पश्चात अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी, जो पारित आदेश दिनांक 5–5–2008 से स्वीकार की गयी। इसी आदेश के विरूद्ध	

इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का विधिवत एवं सूक्ष्म अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा तथाकथित आपसी विभाजन के आधार पर आदेश पारित किया है, जबकि ऐसा कोई विभाजन पत्र उभयपक्षों की सहमति से नहीं किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जानकारी दिनांक से अंदर अवधि में अपील प्रस्तुत की गयी थी, जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने पारित आदेश दिनांक 31–8–2006 से स्वीकार की थी एवं अन्तरिम आदेश पारित किया था। इसके पश्चात अनावेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष जो प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 14–6–2007 से निरस्त की गयी। तत्पश्चात अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा बिना किसी पर्याप्त कारण के अनावेदक की निगरानी को दिनांक 15–5–2008 को स्वीकार की है। अपर आयुक्त का यह आदेश नितांत, अवैध एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि वास्तविक रूप से आवेदिका नगीनादेवी को सुनवाई का कोई अवसर विचारण न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया जबकि उसके पक्ष में भूमिस्वामी स्व0 छोटेलाल द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा संपादित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया

कि अभिलेख के आधार पर आदेश पारित कर दिया जाये क्योंकि उन्हें प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

6/ उभय पक्षों के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किाय गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का विधिवत अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका नगीनाबाई के हित में भूमिस्वामी छोटेलाल कौल द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 30–9–2004 को संपादित किया गया है, जिसे मान्य करते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 31–8–2006 पारित किया है और आवेदिका को प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार माना है। ऐसी स्थिति में आवेदिका को प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया है, इसलिए पुनरीक्षण न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आवेदिका नगीनाबाई वसीयतग्रहीता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, अतः तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 43/ए27/03–04 में पारित आदेश दिनांक 23–3–06 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग का आदेश दिनांक 15–7–08 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार त्यौंथर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का म0प्र0 भू–राजसव संहिता के प्रावधानानुसार नामांतरण आदेश पारित करें।

सदस्य